

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 142 के उप-अनुभाग 2ए के खण्ड (ii) के तहत इंटेंटरी वैल्यूएशन (मूल्यांकन) के लिए लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी के पैनल के लिए आवेदन

1	लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी का नाम	
2	आईसीएमएआई फर्म पंजीकरण संख्या	
3	वर्तमान स्थिति	
4	पैन: वार्ड/ सर्कल:	
5	कार्यालय का पूरा पता दूरभाष सं, फैक्स नं एवं ईमेल आईडी	
6	तारीख जब से लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी के पास सीएमए है	
7	लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी की स्थापना की तिथि	
8	नाम और पूरा पता, दूरभाष नं और मुख्यालय के सीएमए प्रभारी की ईमेल आईडी	
9	पूर्णकालिक भागीदार का विवरण (अलग शीट योग्यता और अनुभव को इंगित करते हुए)	
10	लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी के अंशकालिक भागीदारों का विवरण जैसे नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, पता और पंजीकरण संख्या।	
11	सीएमए कर्मचारियों का विवरण जैसे नाम और फोन नंबर।	
12	लागत लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी के साथ पूर्णकालिक रूप से कार्यरत लागत परीक्षा कर्मचारियों की संख्या (ए) अर्टिकल/ लागत परीक्षा क्लर्क (नाम और फोन नंबर) (बी) अन्य लागत परीक्षा कर्मचारी (नाम और फोन नं.)	दस्तावेजी साक्ष्य के साथ (आवेदन हेतु अधिसूचना के निर्धारित मानदंड संख्या 2(क)(i) देखें)
13	लागत लेखाकार /भागीदारों द्वारा आयोजित निदेशक का विवरण	
14	लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी का टर्नओवर: निर्धारण वर्ष 2019-20 निर्धारण वर्ष 2020-21 निर्धारण वर्ष 2021-22 निर्धारण वर्ष 2022-23 निर्धारण वर्ष 2023-24	दस्तावेजी साक्ष्य के साथ (जैसे आईटीआर, ऑडिट रिपोर्ट और ऐसा कोई अन्य दस्तावेज) (आवेदन हेतु अधिसूचना के निर्धारित मानदंड संख्या 2(क)(iv) देखें)
15	आईटीआर की कॉपी जिसमें लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी द्वारा किए गए लागत परीक्षा का विवरण तथा पेशेवर रसीद (रिसिए) की जानकारी हो निर्धारण वर्ष 2019-20 निर्धारण वर्ष 2020-21 निर्धारण वर्ष 2021-22 निर्धारण वर्ष 2022-23 निर्धारण वर्ष 2023-24	ऐसी प्रत्येक इकाई के विवरण के साथ-साथ ऐसी प्रत्येक इकाई का कारोबार स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे आईटीआर, लागत/ इंटेंट्री परीक्षा रिपोर्ट और ऐसे कोई अन्य दस्तावेज) (आवेदन हेतु अधिसूचना के निर्धारित मानदंड संख्या 2(क)(v) देखें)
16	लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी द्वारा किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2ए) के तहत सभी इंटेंटरी वैल्यूएशन (मूल्यांकन) का विवरण	
17	लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी किसी भी पेशेवर कदाचार में लिप्त है या आईसीएमएआई के समक्ष लागत परीक्षा में अनियमितताओं के लिए वर्क & कॉस्ट अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 21 के तहत किसी भी शिकायत का सामना किया है।	
18	क्या लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी के साझेदारों को उसके काम के निर्वहन में आयकर अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है या किसी अन्य न्यायालय के तहत दोषी ठहराया गया है।	

घोषणा

हम लागत लेखाकार/भागीदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग सत्यापन और घोषणा करते हैं

1. यह कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और यह भी स्वीकार किया जाता है कि यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के लिए दिया गया कोई भी विवरण सही या गलत जानकारी या प्रमाणित जानकारी न पाई जाने पर, न केवल आबंटन से लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी को अयोग्य घोषित करेगा बल्कि वर्क & कॉस्ट अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 21 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा।
2. यह कि व्यक्तिगत रूप से हम अन्यथा अभ्यास में या किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं हैं जिसे वर्क & कॉस्ट अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 21 के तहत व्यवहार में माना जाएगा।

(लागत लेखाकार /साझेदार)